न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई

पीठासीन अधिकारी– नीरज कुमार मीना, आर.ए.एस

वाद संख्या – 141/2018
किस्म मुकदमा– दावा
तारीख निर्णय – 14.02.2019

1. जगराम पुत्र हरचंदी जाति जाट निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर – वादी

बनाम

1. ज्योति पुत्र हरचंदी जाति जाट निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

– प्रतिवादीगण

उपस्थितः– 1. श्री जगवीरसिंह एडवोकेट

निर्णय दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए.

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53,188 आर टी ए के तहत पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी ख. न. 1474 रकवा 0.06,1476 रकवा 0.06,1483 रकवा 0.10,1484 रकवा 0.05, 1485 कवा 0.05, 1486 रकवा 0.12, 1487 रकवा 0. 05,1488 रकवा 0.07,1565 रकवा 0.15,1566 रकवा 0.25,2139 रकवा 0.01,2140 रकवा 0.21,2141 रकवा 0.20, 2147 रकवा 0.59 किता 14 रकवा 1.97 हैक्ट. वाके ग्राम करही तहसील नदबई पर स्थित है। जो वादी व प्रतिवादीगण स. 1 की पैत्रिक आराजी है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी स. 1 को विरासतन प्राप्त हुई है। जिस पर मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी स. 1 लठैत किस्म का व्यक्ति है जो वादी की कब्जे काश्त की आराजी में हडपने की गरज से डोरमेड तोडकर अपने कब्जे काश्त में मिलाना चाहता है जबकि प्रतिवादी सं. 1 का आराजी में 1/2 हिस्सा निहित है जिससे अधिक हिस्से पर जबरन कब्जा करने का प्रतिवादी सं. 1 का कोई कानूनी हक प्राप्त नहीं है। फिर भी प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दिनांक 25.05.2018 को यह धमकी दी है कि वह उक्त विवादित आराजी का बिना कानूनी बंटवारा कराये डोरमेड तोडकर अपने हिस्से से अधिक आराजी पर कब्जा कर लेगा। किसी दीगर व्यक्ति को रहन व मुन्तकिल कर देगा। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति को परिवर्तित कर देगा। इसलिये वादी उक्त आराजी का कानूनी बंटवारा पैमाइश सहित लगान आदि पृथक–पृथक कुर्राजात करा पाने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है व डोरमेड न तोडे व अपने हिस्से से अधिक आराजी पर कब्जा न करे।

अंत में वादी ने प्रार्थना की कि विवादित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके हिस्से में अंकित हिस्सानुसार, नियमानुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी के कुर्रे कायम करा कर अलग अलग लगान कुर्रे अनुसार रिकार्ड में अंकन किये जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की तलवी जरिये सम्मन न होने पर पुनः जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा कराई गई। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा नोटिस लेने से इंकार किया गया। प्रतिवादी सं. 2 की तलवी जरिये सम्मन होने के बावजूद भी न्यायालय में अनुपस्थित हुए तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही दिनांक 08.01.2019 को अमल में लाई गई। प्रतिवादी वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् हाल 2069—72 वाके ग्राम करही पेश की गई। मोखिक बयान के रूप में जगराम पुत्र हरचंदी जाट निवासी करही, भगवानसिंह पुत्र रतीराम जाट निवासी करही, दीपक पुत्र जगराम जाति जाट निवासी करही, पातीराम पुत्र रतीराम जाट निवासी करही, उदयसिंह पुत्र जगराम जाति जाट निवासी करही के बयान पेश किये गये। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस एकतरफा सुनी गई तथा वादी प्रा. डिक्री दिनांक 11.01.2019 को इस कदर किया गया कि वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजीयात् वाके ग्राम करही पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजीयात् के अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजीयात् उभयपक्षकार की उपस्थिति में कुर्रे जात कायम किये जाने हेतु नायब तहसीलदार लखनपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया तथा कुर्रा रिपोर्ट में पृथक—पृथक लगान कायम कर मय नक्शा सहित कुर्रा रिपोर्ट हेतु लिखा गया। नायब तहसीलदार लखनपुर द्वारा कुर्रा रिपोर्ट अपने पत्र क्रमांक एल आर / 19 / 26 दिनांक 21.01.2019 से भिजवाई गई जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस कुर्रा रिपोर्ट एकतरफा सुनी गई। वकील वादी द्वारा कुर्रा रिपोर्ट कब्जा व मौका के अनुसार बनाई गई है। प्रतिवादीगण मौके पर बुलान के बावजूद भी अनुपस्थित रहे। अतः दावा वादी मुताबिक कुर्रा रिपार्ट अनुसार डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने वादी वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध कुर्रापोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि कुर्रा रिपोर्ट मौके व कब्जे के अनुसार बनाई गई है। प्रतिवादीगण को मौके पर बुलान के बावजूद भी अनुपस्थित रहेजो कि कुर्रा रिपोर्ट से जाहिर है। अतः दावा मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादी मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट नायब तहसीलदार लखनपुर के पत्रांक एलआर 19 / 26 दिनांक 21.01.19 के अनुसार डिक्री किया जाता है। कुर्रा रिपोर्ट डिक्री का जुज रहेगा। पर्चा डिकी जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.02.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नीरज कुमार मीना)
सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official